



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 24.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 409/22 धारा 148/326
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.05.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया एडवोकेट शहनाज द्वारा सूचना दी गई कि कस्बा टटीरी पेट्रोल पंप के पास अभियुक्त आरिफ, बौना, शहजाद, सरफराज, आजाद, मुजम्मिल व हारुण निवासीगण ग्राम डौला थाना कोतवाली बागपत द्वारा एक राय होकर वादिया के भाई शहजाद के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी डण्डों व धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 409/22 धारा 147/148/307/504/326 भादवि पंजिकृत किया गया था ।



उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 147/307/504 भादवि का विलोपन किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 409/22 धारा 148/326 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-हारुन पुत्र इकबाल निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री राकेश्वर सिंह क्राईम ब्रांच जनपद बागपत ।

2-का0 479 कलुदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

3-का0 192 अनिल नागर थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 24-11-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1-मौ0 शकील पुत्र अकबर अली निवासी कोर्ट रोड कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

2-मांगे पुत्र सलेकचन्द निवासी दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार शर्मा थाना



कोतवाली बागपत ।

2-उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

3- का0 579 कौशल शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

4-का0 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

5-का 511 धर्मेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 24.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

नरेश पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री जयपाल सिंह थाना छपरौली ।
- 2-का० 977 हेमन्त थाना छपरौली ।
- 3-का० 1006 नरसिंह छपरौली ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 24.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 1068/22 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्ता सहित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.11.2022 को मौहम्मद शाहिद पुत्र नानूदीन निवासी यमुना कालोनी गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.आदिल पुत्र मकसूद, 2.मकसूद, 3.हाशिम पुत्र मकसूद 4.एक महिला निवासीगण यमुना कालोनी गौरीपुर थाना कोतवाली जनपद बागपत के द्वारा उसकी बहन को दहेज के लिये प्रताडित किया, दहेज में एक लाख रुपये व कार की मांग की तथा मांग पूरी न होने पर उसकी बहन की हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 1068/22 धारा 498ए/304 बी भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1068/22 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित एक अभियुक्ता सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-आदिल पुत्र मकसूद निवासी यमुना कालौनी जवाहरनगर गौरीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-एक महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 179 सचिन थाना कोतवाली बागपत ।

3-म0का0 523 गरिमा थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 24.11.2022

थाना बालैनी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-दीपक पुत्र कलुआ निवासी ग्राम मवीकलां थाना बालैनी जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री प्रदीप नादर थाना बालैनी ।
- 2-का0 1101 सत्यवीर सिंह थाना बालैनी ।



प्रेस नोट
थाना चांदीनगर

दिनांक 24.11.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1- शीशपाल उर्फ कल्लू पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम शहापुर बडावली थाना बहसूमा जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार ।

2- का0 853 राशिद खान ।